

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
तुलसी गंगा काम्प्लेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001  
सूचना/विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या- 20608/2019 रश्मि राजपूत एवं 21 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 30-7-2019 के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन के निस्तारण के निमित्त व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

संख्या: पीआरपीबी-विधि-दस-134/2019

दिनांक: अगस्त 7 2019

उत्तर प्रदेश पुलिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती (विशेष चयन)-2017 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 11-7-2019 को आयोजित की गयी कम्प्यूटर टंकण परीक्षा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-20608/2019 रश्मि राजपूत एवं 21 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य में दिनांक 30-7-2019 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य कार्यात्मक अंश निम्नवत है:-

" Since the petitioners have already preferred representation to the competent authority, therefore, it would be expedient in the interest of justice and the petitioners that all the petitioners should prefer their separate representations to the Chairman, U.P. Police Selection and Promotion Board, Lucknow ventilating their grievance separately taking all pleas and grounds which are available to them enclosing therewith the copies of documents which are necessary for the disposal of the representations within a period of 7 days from today and if such representation is preferred by the petitioner to the aforesaid competent authority within aforesaid stipulated time, the grievance of the petitioners would be considered properly and any appropriate orders would be passed with expedition preferably within a period of two weeks thereafter and the decision thereof shall be communicated to the petitioner. While disposing the representation of the petitioners the competent authority may provide the opportunity of personal hearing to the petitioners so as to understand the grievance of the petitioner properly. It is expected that the competent authority shall pass speaking and reasoned order. With the above directions, writ petition is disposed of finally

2- अतः निर्देशानुसार मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत रिट याचिका के याचीगणों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन के निस्तारण के निमित्त सम्बन्धित याचीगणों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु तिथि 9-8-2019 (प्रातः 11-00) निर्धारित की जाती है। सम्बन्धित याचीगण इस निर्धारित तिथि/समय को बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

Jen 7/8

अपर सचिव, भर्ती,  
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।